



मध्यप्रदेश शासन
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय

आदेश

भोपाल, दिनांक 20 FEB 2020

क्रमांक 1619 /एफ-2-22/2009/तेरह : विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र. 36 सन् 2003) की धारा 85 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल का चयन करने के लिए निम्नानुसार चयन समिति का गठन करता है:-

- | | |
|---|-----------|
| (क) न्यायमूर्ति श्री सुशील कुमार पालो, माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश | - अध्यक्ष |
| (ख) मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन | - सदस्य |
| (ग) अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण | - सदस्य |



(मोहम्मद सुलेमान)
अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग

पृष्ठा. क्रमांक 1620 /एफ-2-22/2009/तेरह

भोपाल, दिनांक 20 FEB 2020

प्रतिलिपि:-

1. माननीय न्यायमूर्ति श्री सुशील कुमार पालो, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, फ्लैट नं. ई-03, आईवरी टावर, प्लेटिनम पार्क, माता मंदिर, भोपाल।
2. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार, सेवा भवन, आर.के. पुरम, सेक्टर-1, नई दिल्ली - 110066


अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग